कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मेरठ।

पत्रांक–3020 /5–3 दिनांक, मेरठ, 28 दिसम्बर 2016.

अल्पकालीन निविदा सूचना

1– महामहिम, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ, किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, एम0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए, बी, सी, डी श्रेणी के पात्र ठेकेदारों अथवा सामग्री निर्माता से प्रतिशतता के आधार पर आयरन निर्मित ट्रीगार्ड क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। टैण्डर दिनांक 16.01.2017 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पते (223/1 सिविल लाईन्स, निकट कैलाश प्रकाश स्पोटर्स स्टेडियम मेरठ–250001) पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त टैण्डर उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2017 को सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे। दिनांक 16.01.2017 का अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय व स्थान पर खोली जायेंगी। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। टैण्डरदाता चाहे तो टैण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के ऊपर आयरन निर्मित ट्रीगार्ड हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है।

2–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत रू0 लाख में	जनपद / आपूर्ति स्थल का नाम	अर्नेस्ट मनी की धनराशि	टैण्डर फार्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3		4	5	6	7
1	आयरन निर्मित ट्रीगार्ड 45 सेमी0 व्यास, ऊँचाई 2.10 मी0 (जिसमें 1.5 मी0 ऊँचाई की 37.5X75 मि0मी0 की 12 गेज की बेल्डेड मेश तथा 0.6 मी0 ऊँचाई की 4 टांगे जो 25X25X 3 मि0मी0 एंगिल आयरन की बनी हो सम्मिलित है) की होगी। ट्री गार्ड के ऊपर नीचे व बीच में 25X3 मि0मी0 के फ्लैट आयरन के 3 रिंग भी लगे होंगे। इसे मजबूती प्रदान करने के लिए ऊँचाई 1.50 मी0 के 25X3 मि0मी0 के 4 फ्लैट लगे होंगे। सम्पूर्ण ट्रीगार्ड 2 भागों में होगा जो 6 नट बोल्टस द्वारा आपस में जोड़े जाएंगे। ट्रीगार्ड के ऊपर भाग में 100X75 मि0मी0 की 22 गेज की चादर लगी होगी। ट्रीगार्ड हरे इनैमेल में रंगा हुआ होगा।	504 नग ट्री गार्ड (दो भाग सहित)	7.05	जनपद मेरठ, 223/1 सिविल लाईन्स निकट कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम मेरठ।	14100	(300+100) + वैट	आपूर्ति आदेश के दि0 से 15 दिन के अन्दर

3–निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र अलग–अलग हैं, जिसे अलग–अलग बन्द लिफाफों में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिए। दोनों बन्द लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर टैण्डर दिनांक 16.01.2017 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त दिनांक व समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4–कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं0 7 में अंकित है।

5–कॉलम संख्या–3 में दी गयी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। आपूर्ति बजट की उपलब्धता एवं कार्य की स्वीकृति से आच्छादित होगी।

6–निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यालय में प्रधान लिपिक से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 29.12.2016 से दि0 12.01.2017 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक नगद अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो " **प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ**" के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

7–दिनांक 16.01.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में होने वाली किसी भी देरी अथवा त्रुटि के लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा।

8–समस्त आपूर्ति को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा, अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से जमा करना होगा।

9–निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0, सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए।

10–अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुमान से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

11–अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

12–स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प डयूटी व आयकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।

13–किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, मेरठ वृत्त मेरठ का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

14–टैण्डरदाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

15–कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग–वृत्त में जहां उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिए अनुमन्य नहीं होगा। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

16–राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

17–कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

18–स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19–निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सामग्री मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जमानत की धनराशि में समायोजित किया जा सकता है।

20–निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त, कार्य आदेश निर्गत होने के पूर्व अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।

21–निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदाओं को वापस नहीं किया जायेगा।

22–टैण्डर के साथ किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, एम0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए, बी, सी, डी श्रेणी में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं। सामग्री निर्माता द्वारा सामग्री निर्माण करने का प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, व्यापार कर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं।

23– आयरन निर्मित ट्रीगार्ड की आपूर्ति निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप होना अनिवार्य है, अन्यथा संविदा के नियम व शर्तों के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

24– निविदादाता के तकनीकी बिड में सफल होने की दशा में वित्तीय बिड खोली जायेगी। यदि किसी निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के लिफाफे के अन्दर वित्तीय बिड रखी जाती है तो ऐसी दशा में निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

संख्या 3020 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक,आई0टी0,17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टैण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने का कष्ट करें। (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)।
3– मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
4– मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
5– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
6– जिलाधिकारी, मेरठ ।
7– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ वृत्त मेरठ।
8– लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–1,2,3,4 मेरठ तथा प्रान्तीय खण्ड मेरठ।
9– मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
10– जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
11– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ।
12– समस्त वन क्षेत्राधिकारी, मेरठ वन प्रभाग को 15–15 प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ।
13– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मेरठ खण्ड मेरठ ।
14– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ।
15– प्रभारी, एन0आई0सी0, मेरठ को राजकीय वैबसाईट पर डालने हेतु।
16– नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

D/Acount/Tender Notice